

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक 31/01/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या— 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	66.800

कुल आवंटित राशि — रुपये छियासठ लाख अस्सी हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 10530.59 लाख (एक सौ पाँच करोड़ तीस लाख उनसठ हजार) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि.) दि. 10.06.15 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

३८१

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

१

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

30/01/20
(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 243

रॉची, दिनांक :- *31/01/2020*

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

30/01/20
(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 243

रॉची, दिनांक :- *31/01/2020*

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/ सचिव योजना-सह-वित विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित उपायुक्त/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/ संयुक्त सचिव (अभि.)/ उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/ कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/ प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ सांचिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

30/01/20

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

Q
(सत्पेन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

30/01/20
(अमिताभ कौशल)
सचिव

मां संख्या-५०—जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-२७०२—लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-०२—मूँजल
जगत शीर्ष-००५ अन्तर्राष्ट्रीय/जपा शीर्ष-०१ सर्वरक्षण गैरव जॉन

परिचय

पंचांग २४३ दिनांक ३१०१२०२० का अवस्था

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(आमेताम काशाल
सचिव

क्रम सं	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वेतन	15.11.2000 के लाइटिंगो	देशीय याचि	कर्यालय याचि	किरणा दर,	आपूर्ति संबंध	दूसाथ	वर्दी	विद्युत याचि	माटोडाइयो	विस्तृत गार्ड-04— मरम्मति	विस्तृत गार्ड-05— मरम्मति	विस्तृत गार्ड-07— अन्य याचि	राशि लाख रुपये में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	लघु सिचाई प्रमङ्गल-कोडरमा	पूर्व का आवर्तन पूर्व का आवर्तन	200,000 200,000	0,000 0,000	0,200 0,200	1,100 1,100	0,450 0,450	0,150 0,150	0,200 0,200	0,100 0,100	0,000 0,000	0,100 0,100	1,900 1,900	0,050 0,050	204,250 204,250	0,150
11	लघु सिचाई प्रमङ्गल-झूटो	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	265,750 271,200	0,000 0,000	0,200 0,200	0,200 0,200	0,450 0,450	0,120 0,120	0,150 0,150	0,200 0,200	0,000 0,000	0,100 0,100	0,350 0,350	0,000 0,000	6,400 6,400	268,370
12	लघु सिचाई प्रमङ्गल-गढवा	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	225,500 225,500	0,000 0,000	0,000 0,000	0,400 0,400	0,450 0,450	0,000 0,000	0,150 0,150	0,200 0,200	0,000 0,000	0,150 0,150	0,350 0,350	0,000 0,000	228,250 228,250	
13	लघु सिचाई प्रमङ्गल-निरोहित	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	255,000 255,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,200 0,200	0,450 0,450	0,2120 0,2120	0,150 0,150	0,100 0,100	0,000 0,000	0,200 0,200	0,900 0,900	0,000 0,000	259,445 259,445	
14	लघु सिचाई प्रमङ्गल-गुमला	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	282,000 282,000	0,000 0,000	0,200 0,200	0,400 0,400	0,450 0,450	0,150 0,150	0,100 0,100	0,000 0,000	0,325 0,325	0,200 0,200	1,100 1,100	0,300 0,300	283,150 283,150	
15	लघु सिचाई प्रमङ्गल-गोडा	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	260,000 260,000	0,000 0,000	0,200 0,200	0,400 0,400	0,450 0,450	0,200 0,200	0,150 0,150	0,000 0,000	0,200 0,200	0,600 0,600	2,350 2,350	0,800 0,800	288,030 288,030	
16	लघु सिचाई प्रमङ्गल-चारा	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	211,000 211,000	0,000 0,000	0,200 0,200	0,500 0,500	0,450 0,450	0,0500 0,0500	0,200 0,200	0,100 0,100	0,000 0,000	0,200 0,200	1,500 1,500	0,000 0,000	214,150 214,150	
17	लघु सिचाई प्रमङ्गल- चाईदासा	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	250,000 250,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,900 0,900	0,450 0,450	0,300 0,300	0,150 0,150	0,050 0,050	0,000 0,000	0,200 0,200	0,500 0,500	0,200 0,200	282,950 282,950	
18	लघु सिचाई प्रमङ्गल-जाहोदपुर	पूर्व का आवर्तन अतिरिक्त आवर्तन	463,000 463,000	0,000 0,000	0,200 0,200	0,400 0,400	0,450 0,450	0,150 0,150	0,100 0,100	0,000 0,000	0,550 0,550	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	405,650 405,650	
19	लघु सिचाई प्रमङ्गल- जामताडा	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	250,000 250,000	0,000 0,000	0,200 0,200	0,400 0,400	0,450 0,450	0,000 0,000	0,150 0,150	0,050 0,050	0,000 0,000	0,200 0,200	0,900 0,900	0,000 0,000	282,150 282,150	
20	लघु सिचाई प्रमङ्गल-झुमका	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	547,000 547,000	0,000 0,000	0,300 0,300	0,450 0,450	1,150 1,150	0,200 0,200	0,150 0,150	0,000 0,000	0,200 0,200	0,700 0,700	0,000 0,000	550,600 550,600		
21	लघु सिचाई प्रमङ्गल- धनबाद	पूर्व का आवर्तन कुल आवर्तन	250,000 250,000	0,000 0,000	0,200 0,200	0,400 0,400	0,450 0,450	0,000 0,000	0,200 0,200	0,150 0,150	0,000 0,000	0,300 0,300	0,900 0,900	0,100 0,100	252,700 252,700	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमित)243
31/01/2020(सचेन नायण उपाध्याय)
सचिव(अमिताल काशल)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019-2020	विस्तृत शीर्ष-01-योग्य एवं नये कार्यालय का नाम	विस्तृत शीर्ष-02- योग्य चाहा	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विस्तृत शीर्ष-04- गोट्टगाड़ियां मरम्मति	विस्तृत शीर्ष-05- शिव्वत एवं मरम्मति	विस्तृत शीर्ष-06- गोट्टगाड़ियां मरम्मति	विस्तृत शीर्ष-07- अध्य चाहा	राशि लाख रुपये में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	लघु सिवाई प्रमङ्गल-पाकुड़	पुर्ण का आवंटन ग्रामीणा आवंटन लघु आवंटन	220.000 0.000 220.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.400 0.400	0.450 0.450 0.450	0.000 0.000 0.000	0.150 0.150 0.150	0.050 0.050 0.050	0.000 0.000 0.000	0.700 0.600 0.600	0.050 0.000 0.000
23	लघु सिवाई प्रमङ्गल- बाकारो	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	247.000 0.000 247.000	0.000 0.000 0.200	0.200 0.200 0.300	0.300 0.450 0.450	0.000 0.000 0.000	0.276 0.150 0.150	0.150 0.150 0.150	0.000 0.000 0.000	0.900 0.900 0.900	0.100 0.100 0.100
24	लघु सिवाई प्रमङ्गल- मेदिनीगढ़	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	216.000 0.000 216.000	0.000 0.000 0.300	0.050 0.400 0.400	0.450 0.450 0.450	0.000 0.000 0.000	0.150 1.350 1.350	0.150 0.050 0.050	0.100 0.400 0.400	0.100 2.750 2.750	0.100 0.100 0.100
25	लघु सिवाई प्रमङ्गल-चामगढ़	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	293.900 0.000 293.900	0.000 0.000 0.000	0.450 0.450 0.450	0.450 0.450 0.450	0.000 0.000 0.000	0.150 0.150 0.150	0.200 0.200 0.200	0.000 0.000 0.000	1.300 0.550 0.550	0.200 0.200 0.200
26	लघु सिवाई प्रमङ्गल-रोड़ी	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	462.000 0.000 462.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.200	0.400 0.450 0.450	0.200 0.150 0.150	0.275 0.200 0.200	0.200 0.900 0.900	0.000 0.100 0.100	296.825 464.750 464.750	0.100 0.65000 0.65000
27	लघु सिवाई प्रमङ्गल-लातहर	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	164.000 0.000 164.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.200	0.450 0.450 0.450	0.000 0.000 0.000	0.150 0.150 0.150	0.000 0.200 0.200	0.000 0.700 0.700	0.000 0.000 0.000	165.850 165.850 165.850
28	लघु सिवाई प्रमङ्गल-लाहुरदग्ना	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	160.000 0.000 160.000	0.000 0.000 0.200	1.600 1.600 1.600	0.450 0.450 0.450	0.150 0.150 0.150	0.150 0.150 0.150	0.150 0.150 0.150	0.000 0.200 0.200	0.000 0.900 0.900	0.000 0.000 0.000
29	लघु सिवाई प्रमङ्गल-सारायकेला	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	270.000 0.000 270.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.400 0.400	0.450 0.450 0.450	0.150 0.150 0.150	0.150 0.150 0.150	0.000 0.250 0.250	0.000 0.000 0.000	1.500 0.000 0.000	0.000 0.250 0.250
30	लघु सिवाई प्रमङ्गल-सारेकेल	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	304.000 0.000 304.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.200 0.200	0.400 0.400 0.400	0.450 0.450 0.450	0.150 0.150 0.150	0.100 0.100 0.100	0.000 0.400 0.400	0.200 0.700 0.700	0.000 306.600 306.600
31	लघु सिवाई प्रमङ्गल- सिमडोगा	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	242.000 0.000 242.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.400 0.400	0.450 0.450 0.450	0.150 0.150 0.150	0.050 0.050 0.050	0.000 0.200 0.200	1.200 0.100 0.100	0.100 244.700 244.700	0.270 0.270 0.270
32	लघु सिवाई प्रमङ्गल- हजारीबाग	पुर्ण का आवंटन आवेदिता आवंटन लघु आवंटन	248.980 0.000 248.980	0.000 0.000 0.000	0.400 0.400 0.400	0.450 0.450 0.450	0.150 0.150 0.150	0.050 0.050 0.050	0.000 0.375 0.375	1.350 0.200 0.200	0.100 13.955 13.955	0.270 0.270 0.270

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियो)(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव(अमिताभ कौशल)
सचिव

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2019-2020	विस्तृत शीर्ष-01-बोन एवं नते	वेतन 15.11.2000 के लियोग्डी	देसीय याजा वर्षनादि	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक याजा				विस्तृत शीर्ष-04-माटराइज़ा	विस्तृत शीर्ष-05-माटराइज़ा	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य याजा
					देसीय याजा कार्यसंघ याजा किरणा दर. सामग्री सापुत्र एवं दूसाथ वर्दी विद्युत याजा	कर सामग्री देसीय याजा वर्दी विद्युत याजा	माटराइज़ा इंधन एवं नरमाते				
1	कार्यालय का नाम	पूर्व का आवंटन वर्तनादि	पूर्व का बकाया	देसीय याजा कार्यसंघ याजा किरणा दर. सामग्री सापुत्र एवं दूसाथ वर्दी विद्युत याजा	देसीय याजा कार्यसंघ याजा किरणा दर. सामग्री सापुत्र एवं दूसाथ वर्दी विद्युत याजा	माटराइज़ा इंधन एवं नरमाते	माटराइज़ा इंधन एवं नरमाते	माटराइज़ा इंधन एवं नरमाते	माटराइज़ा इंधन एवं नरमाते	माटराइज़ा इंधन एवं नरमाते	कुल योग अन्य याजा
2	प्रमंडल-तुमका, विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर	प्रौद्योगिकी विविर देवघर
33	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण	लघु सिचाई लघुपाण
34	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी	प्रमंडल, राढी
35	निदेशक , मुराम जल निदेशालय, रेंडी	निदेशक , मुराम जल निदेशालय, रेंडी	निदेशक , मुराम जल निदेशालय, रेंडी	निदेशक , मुराम जल निदेशालय, रेंडी	निदेशक , मुराम जल निदेशालय, रेंडी	निदेशक , मुराम जल निदेशालय, रेंडी	निदेशक , मुराम जल निदेशालय, रेंडी	निदेशक , मुराम जल निदेशालय, रेंडी			
36	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-तुमका	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-तुमका	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-तुमका	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-तुमका	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-तुमका	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-तुमका	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-तुमका	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-तुमका			
37	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-रोढी	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-रोढी	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-रोढी	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-रोढी	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-रोढी	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-रोढी	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-रोढी	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-रोढी			
38	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-हजारीबाग	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-हजारीबाग	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-हजारीबाग	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-हजारीबाग	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-हजारीबाग	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-हजारीबाग	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-हजारीबाग	मुराम जल सरकंप प्रमंडल-हजारीबाग			
	आतिरेकत आवंटन का योग	आतिरेकत आवंटन का योग	आतिरेकत आवंटन का योग	आतिरेकत आवंटन का योग	आतिरेकत आवंटन का योग	आतिरेकत आवंटन का योग	आतिरेकत आवंटन का योग	आतिरेकत आवंटन का योग			

नोट 1: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-39 /वजट दिन 04.02.13 के आलोक में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से निपत्रीकरण के आधार पर ही ग्राहन अनुभाव है।

नोट: किसाया, दर्द में अतिरिक्त यासि का आवंटन मीमुस्त सं 01/2014 में सीधीय जल, सहेजग द्वारा दिनांक 18.08.15 को पारित याय निर्णय तथा विभिन्न विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं- सी०/डॉ०३०५०-०३/ २०१७-७२/ज०, राढी, दिनांक 13 अप्रैल 2017 के अलाक में जयग्राम(मुख्यालय) की यासि के ग्राहन हुई।

कुल अतिरिक्त आवंटन का योग

रुपये लिखान लाख अस्सी हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधीक्ष)

(सर्वेन्द्र नारायण उपसचिव)
सचिव

(अमिताल्प कौशल)
सचिव

२५३/०१२०१९